राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–1/गो0प्र0) विभाग

प.13(76)कार्मिक/क–1/गो.प्र./2021/02463पार्ट (2)   जयपुर, दिनांकः

–: परिपत्र :–

विषयः–समस्त राजसेवकों द्वारा अपने विगत वर्षो के लंबित अचल सम्पत्ति विवरण भरने के संबंध में।

इस विभाग के परिपत्र दिनांक 14.04.2011 के द्वारा राज्य के समस्त राजपत्रित अधिकारियों को 01 जनवरी 2011 से एवं परिपत्र दिनांक 29.06.2021 के द्वारा समस्त राजसेवकों को 01 जनवरी 2021 से अचल सम्पत्ति विवरण राजकाज पोर्टल पर ऑनलाईन किये जाने का निर्णय लिया गया था, जो राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित सभी बोर्ड, निगम स्वायत्तशाषी संस्थाओं उपक्रमों पर भी लागू था। साथ ही अचल सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नही किये जाने पर कर्मचारियों की विजीलेंस क्लीयरेंस नही दिये जाने, पदोन्नति पर विचार नही किये जाने व आगामी वेतन वृद्धि स्वीकृत नही किये जाने के दिशा–निर्देश प्रदान किये गये थे।

राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जिन राजसेवकों द्वारा विगत वर्षो के अचल सम्पत्ति विवरण राजकाज पोर्टल पर ऑनलाईन नही भरा गया है, उन्हें एक **अंतिम अवसर** प्रदान करते हुए लंबित अचल सम्पत्ति विवरण राजकाज पोर्टल पर ऑनलाईन भरने हेतु दिनांक **25.04.2025** तक का समय प्रदान किया जाता है।

अतः समस्त राजसेवकों द्वारा राजकाज पोर्टल पर अपने लंबित अचल सम्पत्ति विवरण की पूर्ति नियत तिथि दिनांक **25.04.2025** तक करना सुनिश्चित करें। साथ ही समस्त प्रशासनिक विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव एवं विभागाध्यक्षों (जिला कलक्टर सहित) को निम्नानुसार कार्यवाही हेतु व्यादिष्ट किया जाता है कि अपने अधीन कार्यरत राजसेवकों के लंबित अचल सम्पत्ति विवरण राजकाज पोर्टल पर ऑनलाईन समय सीमा में भरवाये जाने हेतु निर्देशित करें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Krishna Kant Pathak
Designation : Secretary To Government
Date: 2025.04.10 17:02:04 IST
Reason: Approved

राजकाज पोर्टल पर Online IPR भरने में किसी भी प्रकार की कठिनाई के निराकरण के संबंध में उक्त परिपत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में अंकित IT अधिकारी से 0141–292(2281)(1149)(1856)एवं(1304) पर सम्पर्क कर सकते हैं।

(कृष्णा कान्त पाठक)
शासन सचिव

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. अति. मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव।
4. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव।
5. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव मा. उप मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्य मंत्री/संसदीय सचिव।
6. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर।
7. प्रशासनिक सुधार विभाग अनुभाग–7 कापियों सहित।
8. अतिरिक्त निदेशक, कार्मिक (कम्प्यूटर) विभाग।
9. सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग को राजकाज आईपीआर पोर्टल नियत तिथि तक निर्बाध रूप से खोलने एवं प्रत्येक राजसेवक को लम्बित अचल सम्पत्ति विवरण पूर्ति करने हेतु SMS, Email एवं अन्य माध्यम से सूचित करने हेतु।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा जयपुर ।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
3. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ।
4. अतिरिक्त पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर ।
5. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर ।
6. पंजीयक राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय न्यायाधिकरण जयपुर ।
7. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर ।

Signature Not Verified
शासन सचिव
Digitally signed by Krishna Kant Pathak
Designation : Secretary To Government
Date: 2025.04.10 17:02:04 IST
Reason: Approved